न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी–श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 30-9-19

प्र0स0 81/19 ता0 रजु. 25-9-19

....

सरकार

बनाम

जीतेन्द्र कुमार पुत्र हरीसिंह जाति धाकड़ नि० खोहरा

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खोहरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खोहरा .... के खसरा न0 611/1559 रकवा 0.64 हैक्ट में से रकवा 0.01 हैक्ट किस्म भूमि गै० मु० रास्ता पर सम्वत 2076 में श्री जीतेन्द्र कुमार पुत्र हरीसिंह जाति धाकड़ नि० खोहरा तह0 बयाना ने चरी की फसल कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित /अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय गै० मु० रास्ता .... भूमि पर विधि विरूद्ध अतिक्रमण किया जाना साबित होता है अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 611/1559 .... रकवा 0.01 हैक्ट वाके ग्राम खोहरा से बेदखल किया जाता है। लगान 0.04 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 2/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

इस पत्रावली की मांग सामग्री पेज नं 25
टी. आर. सं: 04 के वर्ष 2018-20 में
दिनांक 14.10.19 को फसल नीलामी
पैनल्टी रू. 2 — को जा चुकी है।
रू. ....
(हस्ताक्षर)
कनिष्ठ राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना